

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1520
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदियों को जोड़ने की योजना

1520. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश भर में नदियों को जोड़ने की योजना अपने अंतिम चरण में है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के बागपत को क्या लाभ प्रदान किए जाएंगे; और
- (ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): वर्ष 1980 में, भारत सरकार ने जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण के लिए नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) के संबंध में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों के परस्पर संयोजन का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें दो घटक अर्थात् हिमालयी घटक (14 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजनाएं) परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आईएलआर परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति और इन परियोजनाओं से होने वाले लाभों को अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत सरकार, नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) कार्यक्रम को परामर्श के आधार पर आगे बढ़ा रही है और इस कार्यक्रम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। पक्षकार राज्यों के बीच अपेक्षित सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर भरसक प्रयास किए गए हैं जिससे परिपक्व आईएलआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सितंबर, 2014 में एक नदी संयोजन संबंधी विशिष्ट समिति (स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर) का गठन किया गया था। अब तक, नदी संयोजन संबंधी विशेष समिति (स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर) की 21 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में 'टॉस्क फोर्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर' का भी गठन किया गया है। इस टॉस्क फोर्स की अब तक, 20 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में, राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और भागीदारी रहती है, जहां पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने के समन्वित प्रयास किए जाते हैं और नदियों के परस्पर संयोजन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का

रोड मैप तैयार किए जाता है। हालांकि, यह पक्षकार राज्यों पर निर्भर करता है कि वे कैसे नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) परियोजना के कार्यान्वयन पर सहमति बनाते हैं।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम ऐसी लिंक परियोजना है, जिसके कार्यान्वयन की शुरुआत, पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बन जाने और मार्च 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, तदनुसार भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दिए जाने के उपरांत किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को वार्षिक सिंचाई प्रदान करना है, जिसमें मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल है। यह परियोजना 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेगी। परियोजना के शुरुआती कार्यों में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन शामिल है।

"नदियों को जोड़ने की योजना" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1520 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के लाभों का ब्यौरा

प्रायद्वीपीय घटक

| क्र.सं. | नाम | लाभान्वित राज्य | वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर) | घरेलू और औद्योगिक (मि.घनमी.) | जल विद्युत (मेगावाट) | स्थिति |
|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश और ओडिशा | 4.43 | 802 | 445 | एफआर पूर्ण |
| | वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश और ओडिशा | 6.25 (0.91 + 3.52 + 1.82*) | 700 +125* | 210 + 240* | एफआर पूर्ण |
| 2 | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाडा) लिंक@@ | आंध्र प्रदेश | 2.1 | 162 | -- | एफआर पूर्ण |
| 3 | क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक | तेलंगाना | 2.87 | 237 | 975+ 70= 1045 | एफआर पूर्ण |
| | ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक ** | तेलंगाना | 2.38 | 232 | 26 | डीपीआर पूर्ण |
| 4 | गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) कृष्णा (पुलिचिताला) लिंक | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश | 4.74 (0.36+ 4.38) | 346 | 90 | डीपीआर पूर्ण |
| 5 | क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) पेन्नार (सोमसिला) लिंक | आंध्र प्रदेश | 5.81 | 124 | 90 | एफआर पूर्ण |
| | ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक ** | आंध्र प्रदेश | 1.71 | 236 | 40 | डीपीआर पूर्ण |
| 6 | कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक | आंध्र प्रदेश | 1.79 | 58 | 11 | मसौदा डीपीआर पूर्ण |
| 7 | कृष्णा (अलमाटी) - पेन्नार लिंक | कर्नाटक | 0.69 | 467 | -- | मसौदा डीपीआर पूर्ण |
| | | आंध्र प्रदेश | 1.57 | 29.83 | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 8 | क) पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी | 4.91 (0.49+ 4.36 +0.06) | 1105 | | एफआर पूर्ण |
| | | आंध्र प्रदेश, | 0.51 | 43 | -- | डीपीआर पूर्ण |
| | ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक ** | तमिलनाडु | 1.14 | 618 | | |
| | | पुदुचेरी | -- | 62 | | |
| 9 | कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडूर लिंक | तमिलनाडु | 4.48 | 218 | -- | डीपीआर पूर्ण |
| 10 | क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक | मध्य प्रदेश और राजस्थान | Alt.I = 2 . 3 0 Alt.II = 2.20 | - 13.2 | -- | एफआर पूर्ण |
| | ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत) | मध्य प्रदेश और राजस्थान | 3.38 (के रूप में प्रति ड्राफ्ट पीएफआर) मध्य प्रदेश - 2.58 राजस्थान- 0.8 | राजस्थान- घरेलू- 1723 एमसीएम औद्योगिक- 286 एमसीएम मध्य प्रदेश- घरेलू- 36 एमसीएम | -- | मसौदा पीएफआर पूर्ण |
| 11 | दमनगंगा - पिंजाल लिंक | महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति) | -- | 895 | 5 | डीपीआर पूर्ण |
| 12 | पार-तापी-नर्मदा लिंक | गुजरात | 2.28 | 76 | 21 | डीपीआर पूर्ण |
| | | महाराष्ट्र | 0.04 | -- | -- | |
| 13 | केन-बेतवा लिंक | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश | 10.62 (2.51 +8.11) | 194 | 103 मेगावाट (हाइड्रो) और 27 मेगावाट (सौर) | डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है |
| 14 | पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक | तमिलनाडु | 0.91 | -- | 3.87 | एफआर पूर्ण |
| | | केरल | | | 504.5 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|------|----|----|-----------------|
| 15 | बेदती - वरदा लिंक@ | कर्नाटक | 1.05 | 38 | -- | डीपीआर पूर्ण |
| 16 | नेत्रवती - हेमवती लिंक*** | कर्नाटक | 0.34 | -- | -- | पीएफआर पूर्ण |

* ओडिशा को ओडीशा सरकार की छह परियोजनाओं से लाभ

** मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। कावेरी बेसिन से सटे वेल्लार नदी की सहायक नदी मणिमुखता नदी में लिंक नहर को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट को और अपडेट किया गया था।

@ बेदती-वरदा संपर्क-डीपीआर इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

@@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

*** आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी: क्रम संख्या 10 (ए) पर पीकेसी लिंक के लिए: ऑल्ट I- गांधीसागर बांध के साथ लिंकिंग, आल्ट II- राणा प्रताप सागर बांध के साथ लिंकिंग

.हिमालयी घटक

| क्र.सं. | नाम | देश/लाभान्वित राज्य | वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर) | घरेलू एवं औद्योगिक (मि. घनमी.) | जल विद्युत (मेगावाट) | स्थिति |
|---------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | कोसी-मेची लिंक | बिहार और नेपाल | 4.74 (2.99+1.75) | 24 | 3180 | पीएफआर पूर्ण |
| 2. | कोसी-घाघरा लिंक | बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल | 8.35 (6.05+1.20 +1.10) | 0 | -- | एफआर पूर्ण |
| 3. | गंडक - गंगा लिंक | उत्तर प्रदेश और नेपाल | 34.58 (28.80+5.78) | 700 | 4375 (Dam PH) & 180 (Canal PH) | एफआर पूर्ण और परिचालित |
| 4. | घाघरा-यमुना लिंक | उत्तर प्रदेश और नेपाल | 27.84 (25.30 + 2.54) | 1391 | 10884 | मसौदा एफआर पूर्ण |
| 5. | सारदा-यमुना लिंक | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड | 2.95 (2.65 + 0.30) | 3054 | 6620 | एफआर पूर्ण |
| 6. | यमुना-राजस्थान लिंक | हरियाणा और राजस्थान | 2.51 (0.11+ 2.40) | 30 | -- | एफआर पूर्ण |
| 7. | राजस्थान-साबरमती लिंक | राजस्थान और गुजरात | 11.53 (11.21+0.32) | 102 | -- | एफआर पूर्ण |
| 8. | चुनार-सोन बैराज लिंक | बिहार और उत्तर प्रदेश | 0.67 (0.13 + 0.54) | -- | -- | मसौदा एफआर पूर्ण |
| 9. | सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ | बिहार और झारखंड | 3.07 (2.39 + 0.68) | 360 | 95(90 बांध पीएच) एवं 5 (नहर पीएच) | मसौदा एफआर पूर्ण |
| 10. | मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार | 3.41 (2.05 + 1.00 + 0.36) | -- | -- | एफआर पूर्ण |
| 11. | जोगीघोषा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प) | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार | 3.559 (0.975+ 1.564+ 1.02) | 265 | 360 | पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है) |
| 12. | फरक्का-सुंदरबन लिंक | पश्चिम बंगाल | 1.50 | 184 | -- | एफआर पूर्ण |
| 13. | गंगा (फरक्का) दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड | 12.30 (11.18+ 0.39+ 0.73) | 432 | -- | एफआर पूर्ण |
| 14. | सुवर्णरेखा-महानदी लिंक | पश्चिम बंगाल और ओडिशा | 2.16 (0.18+ 1.98) | 198 | 20 | एफआर पूर्ण |
